HEAD OFFICE

Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board

46-B, I.T. Park, Sahastradhara Road,

Dehradun (Uttarakhand)

Action Taken Report

Original Application No. 168 of 2019

In compliance of order dated 16.04.2021

of the

Hon'ble National Green Tribunal,

Principal Bench,

New Delhi

August, 2021

Action Taken Report
In the matter of
Original Application No. 168 of 2019

Ramesh Chandra Kapri (Applicant)

Vs

State of Uttarakhand (Respondent)

In compliance of the order passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi on dated 16.04.2021, inspection of the solid waste dump site of Nagar Palika Parisad, Pithoragarh was carried out by the officials of Uttarakhand Pollution Control Board, Regional Office, Haldwani on 01.07.2021.

Copy of inspection report is enclosed as **Annexure-1**.

As per inspection report:

1. The population of Nagar Palika Parisad, Pithoragarh is 62502 and divided in to 20 municipal wards.
2. About 28 MT solid wastes is generated per day. Generated waste is not segregated as bio-degradable and non-biodegradable.
3. Nagar Palika Parisad has started door- to-door collection and pits for vermi composting are made. Collected solid waste is disposed at`dumping site located about 9 Km from Pithoragrh town at Nainipatal (Pithoragarh-Dharchula Highway).
4. Said solid waste dump site is not developed scientifically and collected bio-degradable and non-biodegradable wastes are being dumped at this site.
5. Nagar Palika Parisad has established waste compactor machine, compost machine and granual machin at Ancholi, however, these machines were found non-operational

6. As per inspection report, it is evident that the Nagar Palika Parisad, Pithoragarh is not complying with provisions of the Solid Waste Management Rule, 2016, therefore, based on above observation and in compliance of the Hon'ble NGT order dated 16.04.2021, the Uttarakhand Pollution Control Board is in the process of issuing directions under section-5 of the Environment (Protection) Act, 1986 to Executive Officer, Nagar Palika Parisad, Pithoragarh for ensuring compliance of Solid Waste Management Rules, 2016, which include imposition of an environmental compensation in pursuance of the Hon'ble NGT order.

****

Annexure-1

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)

UKPCB

Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UKPCB/ROH/RC/21/664-253 Dt 13/07/21

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

Uttarakhand Pollution Control Board
Diary No. 1831
Date 15/7/21

विषय– मा0 राष्ट्रीय अधिकरण में योजित O.A No. 168/2019 रमेश चन्द्र कापरी बनाम उत्तराखण्ड़ राज्य में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक UKPCB/HO/Gen-183-443/2021-22/692-136 दिनांक 01.06.2021 के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 01.07.2021 को नगरपालिका परिषद पिथौरागढ़ का निरीक्षण किया गया है। आख्यानुसार निकाय द्वारा वर्तमान में जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण नहीं किया जा रहा है तथा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु स्थापित मशीने संचालन में नहीं है व जनित अपशिष्ट को बिना पृथक्करण के पिथौरागढ़ धारचूला राजमार्ग के नीचे नैनीपाताल नामक स्थान पर एकत्रित/भण्डारित किया जा रहा है तथा स्थल को वैज्ञानिक तरीके से विकसित नहीं किया गया है। आख्या संलग्न है। (संलग्न–1)

अग्रेतर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचारधीन सदर्भित प्रकरण (ओ0ए0 संख्या–168/2019 रमेश चन्द्र कापड़ी बनाम उत्तराखण्ड़ राज्य) में परित आदेश दिनांक 16.04.2021 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ की अध्यक्षता में 04.06.2021 को प्रभागीय वनाधिकारी तथा सेनेटरी इस्पेक्टर की उपस्थिति में Virtual meeting में नगर पालिका पिथौरागढ़ को अनुपालन आख्या तैयार करने के निर्देश दिये गये थे। (संलग्न–2) किन्तु निकाय द्वारा वर्तमान तक आख्या तैयार नहीं की गई है तथा कार्यालय से तकनीकी सहयोग हेतु सम्पर्क नहीं किया है।

उपरोक्तानुसार नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पूर्व आदेश OA 606/2018 के कम में दिनांक 01.04.2020 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 1 लाख/माह आरोपित करने की सस्तुति सहित आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

CEO (T)	CEO (S)	EE-Envis/ Water Cess/NAMP
CEO (Admn)	SO	EO
Nodal-BMW	Nodal-SW/PW	Nodal-HW
Nodal-Legal	Nodal-Account	AO (I/C)

संलग्नकः उपरोकतानुसर

भवदीय,

(डॉ0 आर.के. चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

Court matter, Important pl. 19.7.21

नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़ की निरीक्षण आख्या

कृपया मुख्यालय के पत्र सं. यू.के.पी.सी.बी. / एच.ओ. / सा.—183—443 / 2021—22 / 692—136 दि. 01.06.21 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दि. 01.07.21 को नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़ का निरीक्षण श्री उमेश चन्द्र अवस्थी (अवर अभियन्ता) तथा श्री नन्दाबल्लभ पाण्डे (मानचित्रकार) की उपस्थिति में स्थलीय निरीक्षण किया गया। आख्या निम्नवत् है—

1. नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़ में 20 वार्ड है, जिसकी जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 62502 है।
2. नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत जैविक तथा अजैविक नगरीय ठोस अपिशष्ट 28 मीट्रिक टन / दिन जनित होता है। जनित अपशिष्ट का पृथक्करण नहीं किया जा रहा है।
3. नगर पालिका द्वारा अवगत कराया गया कि डोर टू डोर नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रण की प्रकिया की जा रही है तथा वर्मी कम्पोस्टिंग हेतु विभिन्न वार्डो में पिटों का निर्माण किया गया है।
4. नगर पालिका द्वारा जनित ठोस अपशिष्ट के परिवहन हेतु टाटा टिम्पर 01, हाईड्रोलिक पिकअप—02, डम्पर—03 तथा जे.सी.बी. —01 का प्रयोग किया जाता है।
5. जनित ठोस अपशिष्ट को नगर पालिका परिषद द्वारा पिथौरागढ़ धारचूला राजमार्ग के लगभग 9 किमी. पर नैनीपातल नामक स्थान पर सड़क के नीचे एकत्रित / भण्डारित किया जाता है। स्थल पर ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कम्पोस्टिंग / वर्मी कम्पोस्टिंग आदि की व्यवस्था नहीं है। पालिका द्वारा अवगत कराया गया कि निकाय द्वारा विगत वर्षों से ठोस अपशिष्ट को डम्प किया जा रहा है।
6. नगर पालिका द्वारा उक्त डम्पिंग यार्ड को वैज्ञानिक तरीके से विकसित नहीं किया गया। यार्ड के पिथौरागढ़ —धारचूला रोड की तरफ टिन द्वारा वॉल का निर्माण किया गया है, जो क्षतिग्रस्त है। नगर पालिका द्वारा अवगत कराया गया है कि संदर्भित भूमि कूड़ा निस्तारण हेतु शासन द्वारा हस्तांतरित की गई है।
7. नगर पालिका द्वारा लगभग 3 किमी. पर एंचौली नामक अन्य स्थान पर कॉम्पैटर मशीन, कम्पोस्ट मशीन तथा ग्रेनुवल मशीन की स्थापना की गई है। निरीक्षण के दौरान उक्त मशीने संचालन में नहीं थी। पालिका प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मशीनों का विगत महिनों से संचालन नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़ द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकारण के पूर्व आदेश OA 606/2018 के कम में दि. 01.04.2020 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) रू0 एक लाख प्रतिमाह आरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(शुभम गुसाई)
अवर अभियन्ता

(हरीश चन्द्र जोशी)
सहा0 वैज्ञा0 अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

सलग्नक-01

Solid Waste Damping Yard at Nainipatal, Pithoragarh-Dharchula Road, Nagar Palika Parishad Pithoragarh

Compactor Machine, Composting Machine and Granulator Machine installation Site at Ancholi, Nagar Plaika Parishad Pithoragarh

संलग्नक-α

①
अग्रसारित
Ray
7/06/21

मा0 न्यायालय प्रकरण/समयबद्ध

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

संख्या : 4651(1)/तेईस–स्था0नि0/2020–21 दिनांक 04 जून, 2021

अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद,
पिथौरागढ़।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या– 168/2019 रमेश चन्द्र कापड़ी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 16.04.2021 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या ज्ञाप/तेईस–स्था0नि0/2020–21 दिनांक 04 जून, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन के पत्र संख्या 87/स्टा.ऑफि.–मु.स./2021–168/2019 दिनांक 03 जून, 2021 मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन संख्या– 168/2019 रमेश चन्द्र कापड़ी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.04.2021 के अनुपालन की समीक्षा हेतु दिनांक 04.06.2021 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आहूत की गयी।

उक्त आहूत Virtual Meeting में प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ एवं डॉ0 चतुर्वेदी, क्षेत्रीय प्रदूषण बोर्ड, हल्द्वानी एवं अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, पिथौरागढ़ की ओर से सेनेटरी इंस्पेक्टर द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में समीक्षा उपरान्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा सेनेटरी इंस्पेक्टर, नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़ को मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के क्रम में नगर पालिका परिषद की ओर से अनुपालन आख्या तैयार किये जाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ एवं डॉ0 आर0के0 चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी से मार्गदर्शन प्राप्त करने उपरान्त आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः अपेक्षित है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में डॉ0 आर0के0 चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी (मोबाइल नम्बर–9411101556) एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ से मार्गदर्शन/सुझाव प्राप्त कर अनुपालन आख्या तैयार कर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

1– प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रतिलिपि क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
पिथौरागढ़

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।